

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. District(जिला)..चूरु.P.S(थाना)..सीपीएसजयपुरYear(वर्ष)..2022..FIRNo.(प्रसूरिसं)..91/22.....Dateदिनांक)..16-03-22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराएँ).. 7.....

(ii) Act (अधिनियम)..... Sections (धाराएँ).....

(iii) Act (अधिनियम).....Sections (धाराएँ).....

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएँ)

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 15.3.2022 to

(दिनांक तक) Time Period (पहर)4.00 PM....Time From(बजे से)Time to(बजे तक) (b)(ख)Information

received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना)Date (दिनांक) Time(समय). (c)(ग)General Diary

Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)325..... Time(समय)..4.15 PM

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक)लिखित.....

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 55 KM दक्षिण-पूर्व .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. हॉटल खाना खजाना झुन्डुनू

(c)(ख) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) District (जिला)

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम)श्री श्याम सिंह.....

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... श्री बजरंग सिंह राजपूत.....

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...36 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ङ) Passport No (पासपोर्ट संख्या)

date of Issue (जारी करने की तिथि) Place of Issue (जारी करने का स्थान)

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. होटल व्यवसाय

(g)(छ) Address (पता) नया बास चूरु।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नथी करें)

1. श्री संदीप कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी गुडान तहसील राजगढ जिला चूरु हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्डुनू।

सर्व

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....
9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य) ..Trap Rs 25,000
11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो)
12. F.I.R. Contents (प्र.सूरि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

चूरु

विषय:- श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री बजरंग सिंह राठौड के नाम से चूरु शहर में पुराने बस स्टैण्ड के पास राठौड लॉज एण्ड रेस्टोरेन्ट है। इसमें सारा काम मैं ही सम्भालता हूँ। दिनांक 11.03.2022 को ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू के श्री संदीप निरीक्षक मेरे पास लॉज में आया तथा लॉज का विजिट किया और कार्यरत कर्मचारियों का लॉज में संधारित समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया व मेरे से बातचित की। संदीप कुमार ने कहा कि आपका हॉटल काफी पुराना है, कर्मचारी भी कार्यरत है। कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन में बीमा नहीं किया जा रहा है आपको पैनल्टी सहित करीब 20 लाख रुपये जमा कराने होंगे। मैंने कहा हॉटल में 8-10 कर्मचारियों का स्टाफ है जो सीजन के अनुसार कम-ज्यादा करते रहते हैं। इस पर संदीप जी ने कहा कि 35,000रु. मुझे खर्चे के दे देना मैं पीछे के वर्षों का रिकॉर्ड सही कर दूंगा तथा अप्रैल 2022 से हमारे विभाग का चूरु में कार्यालय खुल जायेगा तथा मैं ही यंहा ईन्चार्ज रहूंगा। इसलिए आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू मेरे से नाजायज 35,000रु. रिश्वत के मांग रहा है मैं उसे रिश्वत न देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनांक 14.03.2022

प्रार्थी

(एसडी)

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह

निवासी नया बास चूरु

मो0न0 9352894681

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 14.03.2022 को वक्त 4.45 पीएम पर श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी नया बास चूरु ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरु होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मजीद पुछताछ पर श्री श्याम सिंह ने बताया कि चूरु शहर में पुराने बस स्टैण्ड के पास राठौड लॉज एण्ड रेस्टोरेन्ट नाम से मेरे पिताजी ने होटल कर रखा है। इस होटल को मैं ही सम्भालता हूँ। दिनांक 11.03.2022 को श्री संदीप जी इन्सपेक्टर ईएसआईसी श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू मेरे पास होटल में आये व होटल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी रिकार्ड देखा और कहा कि ईएसआईसी चूरु में वर्ष 2016 से लागू हो गई है। आपका होटल काफी पुराना है तथा कर्मचारी भी ज्यादा है। आपके 2016 से कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी वसूली निकलेगी। मैंने कहा कि होटल में ज्यादातर 8-10 कर्मचारी रहते हैं तथा सीजन के हिसाब से कर्मचारी कम ज्यादा भी करते रहते हैं। संदीप कुमार इन्सपेक्टर ने इस सम्बन्ध में मेरे से काफी वार्ता की तथा कहा कि आपके वसूली तो निकलेगी तथा आगे भी कार्यरत कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी कार्य होगा तथा संदीप जी ने अपने मोबाईल के केलकूलेटर में 35000 रुपये लिखकर मेरे को दिखाया व कहा कि इतना खर्चा मेरे को दे देना मैं आपका पीछे

